

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>घनश्याम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 259 / 2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम इस हुक्म तामील में जारी हुए</p>
<p>30.09.22</p>	<p>अपीलार्थी घनश्याम निवासी ग्राम डी ब्लॉक, झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2022 में उसके द्वारा ग्राम पंचायत जोलियाली तहसील जोधपुर जिला जोधपुर के पटवारी कार्यालय से संबंधित सूचना से लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	